



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ 1940 (श10)  
(सं0 पटना 466) पटना, शुक्रवार, 25 मई 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 मई 2018

एस०ओ० 182 दिनांक 25 मई 2018—बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (2018 का बिहार अधिनियम 4,) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं अधिनियम की अनुसूची के भाग क, भाग ख एवं भाग ग द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा संलग्न अनुसूची के भाग-1 के स्तंभ (3) एवं अनुसूची के भाग 2 तथा भाग 3 के स्तंभ (4) में उल्लिखित दरों को उस दर के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित ऊर्जा के उपभोग के संबंध में विद्युत शुल्क का अधिरोपण एवं भुगतान किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक 04.05.2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

भाग-1		
क्र०सं०	विद्युत विपत्र की टैरिफ कोटि	विद्युत शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	भाग-क : आवासीय	उपभोग चार्ज का 6 प्रतिशत
2.	भाग-ख : वाणिज्यिक	उपभोग चार्ज का 6 प्रतिशत
3.	भाग-ग : कृषिजन्य (कृषिजन्य पम्पिंग को छोड़कर)	उपभोग चार्ज का 6 प्रतिशत

भाग-1		
क्र०सं०	विद्युत विपत्र की टैरिफ कोटि	विद्युत शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
3(क)	भाग-ग : कृषिजन्य पम्पिंग	उपभोग चार्ज का 0.70 प्रतिशत
4.	भाग-घ : अस्थायी	उपभोग चार्ज का 6 प्रतिशत
5.	भाग-ड : विज्ञापन तथा होर्डिंग	उपभोग चार्ज का 6 प्रतिशत
6.	भाग-च : औद्योगिक	उपभोग चार्ज का 6 प्रतिशत
7.	भाग-ज : मोनो एवं मेट्रो रेल	उपभोग चार्ज का 6 प्रतिशत

भाग-2			
क्र० सं०	विद्युत विपत्र की टैरिफ कोटि	उपयोग का प्रयोजन	विद्युत शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i) कैप्टिव पावर, (ii) सह उत्पादन से पावर, (iii) स्टैंडबाई उत्पादन, (iv) नवीकरणीय ऊर्जा से पावर, (v) स्वतंत्र पावर उत्पादक (आई0पी0पी0)	(i) स्व उपयोग  (ii) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति	शून्य पैसे प्रति यूनिट  वितरण कंपनी अथवा अनुज्ञप्तिधारी के उपभोग चार्ज पर प्रचलित तालिका के भाग-1 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार

भाग-3			
क्र०सं०	विद्युत विपत्र की टैरिफ कोटि	उपयोग का प्रयोजन	विद्युत शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खुली-पहुँच	(i) स्व उपयोग	वितरण कंपनी अथवा अनुज्ञप्तिधारी के उपभोग चार्ज पर प्रचलित तालिका के भाग-1 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार
2.	अन्य	(ii) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति	

[(सं०सं० बिक्री कर/संशोधन-01/2018-1440)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
प्रधान सचिव।

25 मई 2018

एस0ओ0 182 दिनांक 25 मई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री कर/संशोधन-01/2018-1440)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
प्रधान सचिव।

***The 25<sup>th</sup> May 2018***

S.O. No.-182, Dated 25<sup>th</sup> May 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and Part A, B and C of the Schedule of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Bihar Act 4 of 2018) the Governor of Bihar, here by specifies the rates mentioned in column (3) of the Schedule Part-1 and in column 4 of the Schedule Part-2 and Part-3 appended hereto, to be the rates at which the electricity duty shall be levied and paid in respect of the consumption of energy mentioned in column (2) of the said Schedule.

2. This notification shall come into force with effect from 04-05-2018 the date of publication of Bihar Electricity Duty Act, 2018 in official gazette.

**Schedule**

<b>Part-1</b>		
<b>Sl.No.</b>	<b>Tariff Category of Electricity Bill</b>	<b>Rate of Electricity Duty</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Part A : Residential	6 percent of the consumption charges
2.	Part B : Commercial	6 percent of the consumption charges
3.	Part C : Agricultural (Excluding agricultural pumping)	6 percent of the consumption charges
3A	Part C : Agricultural Pumping	0.70 percent of the consumption charges
4.	Part D : Temporary	6 percent of the consumption charges
5.	Part E : Advertisements and Hoardings	6 percent of the consumption charges
6.	Part F : Industrial	6 percent of the consumption charges
7.	Part H : Mono and Metro Rail	6 percent of the consumption charges

<b>Part-2</b>			
<b>Sl.No.</b>	<b>Tariff Category of Electricity Bill</b>	<b>Utilisation Purpose</b>	<b>Rate of Electricity Duty</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i) Captive Power (ii) Power from Co-Generation (iii) Stand by Generation (iv) Power from Renewable Energy. (v) Independent Power producer (IPP)	(i) Self-use  (ii) Supply to other person or persons.	Zero Paisa per unit.  On the prevailing consumption charges of distribution company or licensee as per the rates specified in Part-1 of the Table

<b>Part-3</b>			
<b>Sl.No.</b>	<b>Tariff Category of Electricity Bill</b>	<b>Utilisation purpose</b>	<b>Rate of Electricity Duty</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Open access	(i) Self-use	On the prevailing consumption charges of distribution company or licensee as per the rates specified in Part-1 of the Table
2.	Other	(ii) Supply to other person or persons	

[(File No. Bikri-Kar/Sansodhan-01/2018 -1440 )]

By order of the Governor of Bihar,  
SUJATA CHATURVEDI,  
*Principal Secretary.*

—  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 466-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>